MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 12.10.2026

📍 यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई:-

जनपदीय पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 129 वाहनों का चालान किया गया एवं 01 वाहन सीज किया गया.

शांति भंग की आशंका के मद्देनजर की गयी कार्रवाई-

शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालान किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 62 है.

आबकारी, एनडीपीएस व अन्य निरोधात्मक कार्रवाई-

धारा 34 पुलिस एक्ट: 07

धारा 129जी BNSS: 00

आबकारी अधिनियम- 04 अभियोगों में 04 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; जिसके तहत 00 लीटर कच्ची शराब, 68 शीशी देशी शराब बरामद की गई.

एनडीपीएस एक्ट (मादक पदार्थ)-

थाना श्यामदेउरवा (मु०अ०सं० 272/2026)- अभियुक्त बुद्धेश्य पुत्र रामनयन (उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी मोहम्मदपुर) के पास से 160 ग्राम नाजायज गांजा बरामद.

थाना कोतवाली (मु०अ०सं० 432/2026)- अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र रामरक्षा (उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी बांसपार बैजौली बाजार टोला) के पास से 256 ग्राम नाजायज गांजा बरामद.

अन्य सराहनीय बरामदगी (आबकारी अधिनियम व कस्टम अधिनियम)-

थाना कोठीभार (मु०अ०सं० 318/2026)- अभियुक्त श्रीनिवास पुत्र बदरी (निवासी हिमांचल छपरा) के पास से 20 पाउच बंटी बबली देशी शराब बरामद.

थाना कोठीभार (मु०अ०सं० 319/2026)- अभियुक्त पारसनाथ पुत्र स्व० रामदास (निवासी बड़हरा चरगहा ताल टोला) के पास से 15 अदद देशी शराब बरामद.

थाना कोठीभार (मु०अ०सं० 320/2026)- अभियुक्त पारस पुत्र विपथ (निवासी मोजरी) के पास से अवैध 15 ट्रेटा पैक देशी शराब बंटी बबली बरामद.

थाना घुघली (मु०अ०सं० 0249/2026): अभियुक्त विग्गन पुत्र स्व० रामदास उर्फ अब्दुल्ला (निवासी हरखपुरा डेरा टोला) के कब्जे से 18 अदद देशी बंटी बबली शराब बरामद.

थाना सोनौली (कस्टम अधिनियम)- अभियुक्त सूरज पासवान (निवासी शेष फरेन्दा) के कब्जे से 03 गत्ते में डेरी मिल्क चॉकलेट, पटाखे व 01 नेपाली मोटरसाइकिल (लू 13 प 5507) बरामद.

थाना सोनौली (कस्टम अधिनियम)- अभियुक्तागण आबिदा खातून एवं डाला कुमारी थापा क्षेत्री के पास से 19 प्लास्टिक बंडलों में कपड़े (साड़ी, शॉल, सलवार कपड़ा, पैंट, सूट, पेटीकोट) तथा 64 जोड़ी जूता बरामद.

विवेचना निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में दैनिक रूप से कुल 04 विवेचनाओं का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया.